-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र ायल अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। ौरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा ग्राम राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. ने सायल की व गैरसायलान की सामलाती कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 1.9668 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 209/01 रकबा 0.0081 किस्म गैरमुमकिन, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.2950 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 211 रकबा 1.7968 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.0647 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.1133 किस्म गैरमुमकिन, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.6556 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.7932 किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.4371 किस्म चाही सोयम, कुल खसरा 9 कुल रकबा 7.1306 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी में **सायल** अपने 1/8 हिस्से में काश्त करे, काश्त मुतालिक कार्य करे तो **गैरसायलान** उसमें दखलअंदाजी नहीं करने व कब्जे काश्त में रोकटोक पैदा नहीं करे। **उभयपक्षकारान** ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तान्तरण वसीयत आदि नहीं करे राजस्व रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनायें रखे, जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)